औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 कितने मौजूदा अधिनियमों को समेकित करती है और वे अधिनियम कौन से हैं?

उत्तर औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 तीन अधिनियमों नामतः ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को समेकित करती है।

2. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का कौन सा अध्याय ट्रेड यूनियन विषयक मामलों से संबंधित है?

उत्तर औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का अध्याय III

3. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का कौन सा अध्याय स्थायी आदेशों से संबंधित मामलों से संबंधित है?

उत्तर औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 का अध्याय IV

4. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और वे कौन सी हैं?

उत्तर तीन अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची संहिता के तहत स्थायी आदेशों में प्रदान किए जाने वाले मामलों से संबंधित है; दूसरी अनुसूची अनुचित श्रम प्रथाओं से संबंधित है और तीसरी अनुसूची सेवा की उन शर्तों से संबंधित है जिसमें बदलाव के लिए नोटिस दिया जाना होता है।

5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) में परिभाषित " कर्मकार (वर्कमैन)" शब्द के लिए औद्योगिक संहिता, 2020 में नया शब्द क्या है?

उत्तर औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) में प्रयुक्त परिभाषित "कर्मकार (वर्कमैन)" शब्द के लिए नया शब्द "कर्मचारी (वर्कर) " है।

6. क्या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत 'उद्योग' की परिभाषा में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी धर्मार्थ, सामाजिक या परोपकारी सेवाओं में लगे संगठनों के स्वामित्व वाले या प्रबंधन वाले संस्थान शामिल हैं।

उत्तर नहीं ।

7. क्या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार नियत अवधि नियोजन के कार्यकाल के अवसान के परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति या लगातार खराब स्वास्थ्य के आधार पर किसी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति संहिता की धारा 2(यज) के तहत परिभाषित "छंटनी" की परिभाषा के दायरे में आती है?

उत्तर नहीं, इन दोनों स्थितियों को "छंटनी" की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है।

8. औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने और व्यक्तिगत शिकायतों से उत्पन्न विवादों के समाधान के उद्देश्य से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत प्रदान किए गए द्वि-पक्षीय फोरम क्या हैं?

उत्तर औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोक्ता और श्रमिकों के बीच सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने और व्यक्तिगत शिकायतों से उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के उद्देश्य से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत प्रदान किए गए द्वि-पक्षीय फोरम में शामिल हैं: कार्य समिति और शिकायत निवारण समिति।

9. कार्य समिति और शिकायत निवारण समिति के गठन के उद्देश्य से श्रमिकों की न्यूनतम संख्या के संदर्भ

में क्या आवश्यकता है?

उत्तर कार्य समिति के गठन के उद्देश्य से 100 श्रमिक और शिकायत निवारण समिति के गठन के उद्देश्य से 20 श्रमिक।

10. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार उद्योग में कार्यरत कितने प्रतिशत कर्मकारों द्वारा किसी निश्चित दिन पर 'सम्मिलित आकस्मिक अवकाश' को 'हड़ताल' माना जाएगा।

उत्तर 50 प्रतिशत या अधिक

11. शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) में सदस्यों की अधिकतम संख्या, जो वर्तमान में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत छः है, को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में बढ़ाकर कितने सदस्य कर दिया गया है?

उत्तर. 10 सदस्य

12. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में हाजिरी रजिस्टर पर कितने प्रतिशत या अधिक श्रमिकों का समर्थन रखने वाली ट्रेड यूनियन को एकमात्र 'नेगोशिएशन यूनियन' के रूप में मान्यता दी जाएगी।

उत्तर. किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में हाजिरी रजिस्टर पर 51% या अधिक श्रमिकों के समर्थन वाली ट्रेड यूनियन।

13. एक से अधिक ट्रेड यूनियन वाले प्रतिष्ठान में वार्ता परिषद का हिस्सा बनने के लिए प्रतिनिधियों के लिए श्रमिकों के प्रतिशत के संदर्भ में किसी यूनियन के लिए न्यूनतम समर्थन की आवश्यकता क्या है, यदि किसी यूनियन में 51% या अधिक श्रमिक नहीं हैं?

उत्तर. प्रतिष्ठान के हाजिरी रजिस्टर पर कुल श्रमिकों का 20% ।

14. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में "श्रमिक पुनः कौशल निधि" का नया शुरू किया गया उपबंध प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मचारी के संबंध में प्रतिष्ठान द्वारा इस तरह के फंड में कितने दिनों के वेतन या ऐसे अन्य दिनों के बराबर राशि के योगदान, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, का प्रावधान करता है?

उत्तर. 15 दिनों की मजदूरी या ऐसे अन्य दिनों के बराबर राशि जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है।

15. औद्योगिक न्यायाधिकरण के गठन के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत सदस्यों की निर्धारित संख्या क्या है?

उत्तर. दो, इनमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होगा।

16. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत विशेष रूप से जुर्माने से दंडनीय अपराधों के लिए जुर्माना लगाने की शक्ति भारत सरकार के कम से कम किस रैंक के अधिकारियों या उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त राज्य सरकार में समकक्ष रैंक के अधिकारियों को दी गई है?

उत्तर. अवर सचिव

17. क्या यह सच है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों से संबंधित विवादों को भी औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है?

उत्तर. हाँ ।

18. क्या औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार निश्चित अवधि के रोजगार अनुबंध पर नियुक्त एक कर्मचारी/श्रमिक विभिन्न टर्मिनल बकाया के अलावा छंटनी मुआवजा पाने का भी हकदार होगा?

उत्तर. नहीं

19. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अनुसार शमनीय अपराध (कंपाउंडेबल ऑफेंस) की श्रेणी में आने वाले किसी भी अपराध पर उस अपराध के लिए निर्धारित जुर्माने का कितना प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है?

उत्तर. केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों के मामले में अधिकतम जुर्माने का 50 प्रतिशत और जुर्माने या एक वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के मामले में अधिकतम जुर्माने का 75 प्रतिशत।

20. क्या कोई व्यक्ति, जिसे भारत में किसी अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो, अपनी रिहाई के तुरंत बाद किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन की कार्यकारिणी का सदस्य या कोई अन्य पदाधिकारी बनने के लिए पात्र है?

उत्तर. नहीं। ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों की अयोग्यता के संबंध में औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 21 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति जिसे भारत में किसी अदालत द्वारा नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है, को उसकी रिहाई के बाद पांच साल की अवधि पूरी होने तक चुने जाने और कार्यकारिणी के सदस्य या किसी पंजीकृत के किसी अन्य पदाधिकारी होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

*****